न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 1396/2026

CNR No.- UPGD010039532026

बृजेश शुक्ला, आयु करीब 42 साल, पुत्र स्व0 काशीनाथ शुक्ला, निवासी–ग्राम बेहड़ा बसभरिया, थाना–कौड़िया, जनपद–गोण्डा।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।

.....अभियोजन।

दिनांक–08.06.2026

1. यह प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **बृजेश शुक्ला** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–238/2026, अन्तर्गत धारा 309(4), 351(3), 352, 317(2), 61(2)(ए) बी0एन0एस0, थाना–करनैलगंज, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

3. वादी मुकदमा राजन सोनी द्वारा दिनांक 28.04.2026 को समय 14:27 बजे थाना करनैलगंज, गोण्डा में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है कि दिनांक 28.04.2026 को समय करीब सुबह 9 बजे के आस पस अपने घर से बाइक पैशन प्रो से पिट्ठू बैग लेकर अपनी दुकान सम्मयथान चौराहा नारायणपुर माझा जा रहा था कि रास्ते में खाटू श्याम मन्दिर के मोड़ के आगे पुलिया के पास अपाचे मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात व्यक्ति उसे असलहा दिखाकर रोक लिए। जब वह रूका तो उसके पास जो बैग था, जिसमें सोने चांदी के गहने व नगद पैसे थे, वो लोग छीनकर लेकर भाग गये तथा उसके पास मोबाईल VIVO V29E था, जिसमें एयरटेल कम्पनी का सिम था, जिसका नं0 9026680858 लगा था, उसे भी वे लोग लेकर भाग गये। उसने पीछा किया परन्तु वे लोग गाली देते हुए कहे कि पीछा करोगे तो जान से मार दूंगा।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में फर्जी तरीके से झूठा व रंजिशन फंसाया गया है, उसके द्वारा कथित अपराध कतई कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है, वह नामजद नहीं है। उसके विरूद्ध लूट का कोई साक्ष्य नहीं है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो भी बरामदगी बतायी गयी है, वह पुलिस द्वारा थाने पर बैठकर फर्जी तैयार की गयी है। पुलिस द्वारा घर से बुलाकर फर्जी एन्काउन्टर दिखाकर झूठे मुकदमे में चालान किया गया है। उसकी कोई शिनाख्त किसी साक्षी द्वारा नहीं करायी गयी है। कथित बरामदगी का कोई जनता का साक्षी नहीं है, न ही उसके पास से वादी मुकदमा की कथित चोरी की कोई वस्तु बरामद हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में चोरी गए गहनों का कोई विवरण नहीं दिया गया है और न ही नगद रूपयों की संख्या का कोई उल्लेख है। सह अभियुक्त बाबूराम की जमानत स्वीकार हो चुकी है, आवेदक/अभियुक्त का केस सह अभियुक्त से बेहतर फुटिंग का है। मामला मजि0 के न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। वह किसी दाण्डिक मुकदमे में दोषसिद्ध नहीं हुआ है। उपरोक्त कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र के तहत वादी मुकदमा से सोने चांदी के जेवर, नगद रूपये व मोबाईल की लूट करने, कथित लूट के रूपये आवेदक/अभियुक्त के पास से बरामद होने, तथा वादी को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित अभिलेख व केस डायरी का अवलोकन किया।

7. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। दौरान विवेचना कथित बरामदगी के आधार पर उसे मामले से सम्बद्ध किया गया है। केस डायरी में संलग्न फर्द बरामदगी में आवेदक /अभियुक्त के कब्जे से 220/– रूपये व एक मोबाइल बरामद होना कहा गया है तथा लूट की कोई वस्तु आवेदक/अभियुक्त के पास से बरामद होना नहीं दर्शित है। कथित अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं है। कथित बरामदगी व गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। सम्बन्धित थाने की आख्या में आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व सजायाबी आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। सह अभियुक्तगण बाबूराम एवं अमर शुक्ला उर्फ ननकन शुक्ला का जमानत प्रार्थना पत्र, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, गोण्डा द्वारा क्रमशः दिनांक 22.05.2026 एवं 03.06.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। वर्तमान अभियुक्त का मामला सह अभियुक्तों से गुरूत्तर प्रकृति का नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

8. अतः मामले के तथ्यों एवं परस्थितियों में अपराध के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त बृजेश शुक्ला की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **बृजेश शुक्ला** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–238/2026 अन्तर्गत धारा–309(4), 351(3), 352, 317(2), 61(2)(ए) बी0एन0एस0, थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1396/2026 **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा।

दिनांक–08.06.2026